

प्रेषक,

के० के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी,
गोरखपुर एवं सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14 सितम्बर 2010

विषय : वर्ष 2008-09 में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में की गई हवाई यात्रा के लिए एअरलिफ्ट के लम्बित किराए के भुगतान हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वर्ष 2008-09 में बाढ़ से प्रभावित जनपद गोरखपुर के मण्डलायुक्त द्वारा दिनांक 01.8.07 व 04.8.07 को गोरखपुर से ऋषि गोरखपुर तक खोज एवं बचाव कार्य हेतु की गई हवाई यात्रा के लिए रु० 4,97,250/- तथा जनपद सहारनपुर में दि० 21.09.08 को श्री आनन्द कुमार तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बेहट द्वारा वायु सेना के एअर लिफ्ट से सरसावाँ से कस्बागढ़ तक की गई हवाई यात्रा के सापेक्ष देय भुगतान रु० 1,71,667/- इस प्रकार एअर लिफ्ट से की गई हवाई यात्रा के लिए इण्डियन एयरफोर्स के लम्बित किराए के भुगतान हेतु आपके निर्वर्तन पर क्रमशः रु० 4,97,250/- (रु० चार लाख सत्तानवे हजार दो सौ पचास मात्र) एवं रु० 1,71,667/- (रु० एक लाख इकहत्तर हजार छः सौ सरसठ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा निधि से व्यय-42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा।

3. उक्त धनराशि का व्यय वर्ष 2008-09 में आयी बाढ़ के समय एअर लिफ्ट से की गई हवाई यात्रा के लिए इण्डियन एयरफोर्स के लम्बित किराए के भुगतान पर नियमानुसार की जायेगी।

4. शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

5. आपदा राहत निधि से स्वीकृति धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित कार्यों हेतु ही किया जाय। किसी अन्य विभागीय कार्य हेतु इस धनराशि का प्रयोग कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं सहारनपुर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त कार्य विशेष के लिए किसी अन्य योजना अथवा निधि से धनराशि प्राप्त न हुई हो।

क्रमशः-2- पर

6. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।
7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/ 1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट पर <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।
8. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

(के0 के0 सिन्हा)

प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त

संख्या-2067/1-10-2010-14(31)/2007, दिनांक दि0. 14.09.10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार- प्रथम, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, गोरखपुर/सहारनपुर।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर एवं सहारनपुर।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
6. समीक्षा अधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11।
7. ✓ श्री संजय अग्रवाल, पीएस, एनआईसी को राहत वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
8. राहत आयुक्त संगठन।
9. श्री ए0के0 दत्ता, उपनिदेशक (लेखा) एअरहेड क्वार्टर, लेखा निदेशालय, बेस्ट ब्लॉक-6, आर0के0पुरम् नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

M. J. Joshi

(मधु जोशी)

उप सचिव